

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-1  
देहरादून : दिनांक 12-जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

APP-445DA  
DSESE  
12.07.2023

**विषय:** विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु 'स्थल चयन समिति' का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

सामान्यतया विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य स्थल हेतु केवल भूमि और वह भी निःशुल्क भूमि की उपलब्धता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा भूमि उपलब्ध हो जाने पर समग्र दृष्टि से भूमि/स्थल की उपयोगिता के सम्बन्ध में सम्यक विचार किए बिना अग्रोत्तर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। भविष्य में कई प्रकरणों में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत संज्ञान में आता है कि निर्माण स्थल जन सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है तथा स्थल पर भूस्खलन, सुगम मार्ग की अनुपलब्धता, विद्युत/पानी आदि विषयक समस्याएं भी विद्यमान होने के कारण सम्बन्धित योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता और कई प्रकरणों में उसकी उपादेयता भी नहीं रहती। फलतः ऐसे निर्माण कार्यों में पूंजीगत मद के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक आवर्ती व्यय करना पड़ता है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड एवं आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कई ऐसे उद्धरण रेखांकित किए गए हैं, जिनमें निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत उसकी उपादेयता कम/आंशिक ही पाई गई है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त स्थल चयन के लिए निम्नानुसार "स्थल चयन समिति (Site Selection Committee)" का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निर्माण लागत ₹ 10.00 करोड़ तक है:-

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित-मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी -अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता से अन्यून हों - सदस्य
3. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है - सदस्य
4. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक (ACF) (मात्र वन भूमि निहित होने की दशा में) - सदस्य
5. सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य सचिव
6. विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को सम्बन्धित जिलाधिकारी/प्रशासकीय विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा - सदस्य

(ख) ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निर्माण लागत ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है:-

1. जिलाधिकारी - अध्यक्ष
2. प्रभागीय वनाधिकारी (मात्र वन भूमि निहित होने की दशा में) - सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता से अन्यून हों - सदस्य
4. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है - सदस्य
5. सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य सचिव
6. विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को सम्बन्धित जिलाधिकारी/प्रशासकीय विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा - सदस्य

3. उपरोक्तानुसार गठित समितियों हेतु स्थल चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे:-

- (1) "स्थल चयन समिति" सम्बन्धित प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में स्थल की उपादेयता से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं/कारकों यथा, प्रस्तावित स्थल की भौगोलिक स्थिति, आबादी क्षेत्र से दूरी, सड़क मार्ग की चौड़ाई, कनेक्टिविटी, पार्किंग, यातायात मूल्यांकन/यातायात जमाव (traffic assessment/congestion), बिजली, पानी की उपलब्धता, सम्बन्धित लाभार्थियों की पहुँच/सुविधा, स्थल के स्थायित्व एवं भविष्य की आवश्यकता इत्यादि का ध्यान रखेगी।



